भाग–2

परियोजना या स्कीम की अवस्थितिः– जनपद चमोली के अन्तर्गत सिमली से नाखोली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.322 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग, को प्रत्यावर्तन।

1. (i)राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii)जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	
2– पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	1.632 है0 वन भूमि, (0.310 है0 सिविल वन भूमि, 1.322 है0 वन पंचायत)
3– अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा–	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	सिविल सोयम एवं वन पंचायत भूमि
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.1 – 0.3
(iii) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षो की परिगणना।	प्रस्ताव में संलग्न।
(iv)पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	–
4– भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक रिर्पोट संलग्न।
5– वनभूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	लगभग 0.100 किमी0
6– वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नहीं।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नहीं।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणी उपाबद्ध की जाय)	नहीं।
(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाय)	नहीं। मुख्य वन संरक्षक, अनुश्रवण, मूल्यांकन, आई0टी0 एवं आधुनिकीकरण, देहरादून की पत्र सं0 3201–2डी / 1 / 2020 दिनांक 13.09.2021 से केदार नाथ वन्यजीव अभ्यारण्य से सन्निकट हवाई दूरी 30.10 किमी0 एवं नन्दा देवी राष्ट्रीय पार्क से 19.30 किमी0 जी0आई0एस0 तकनीकी से सन्निकट आंकलित की गयी है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी0 के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्यजीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)	नहीं।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, तो उसके ब्यौरे	नही।

Scanned with CamScanner

7- क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ उसका ब्यौरा दें।)	नहीं।
8- पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	
(i) क्या भाग-1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	निम्नानुसार। न्यूनतम है।
(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचिका भूमि न्यूनतम है।
9- किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:-	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)	नहीं।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तददायी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही।	नहीं।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/नहीं)	नहीं।
10- क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे:-	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	लागू नहीं।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें।	लागू नहीं।
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	लागू नहीं।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न
क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय:-	प्रस्ताव में संलग्न।
(i) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तिता के बारे में संवद्ध उप वन संरक्षण से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	प्रस्ताव में संलग्न।
वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित पूर्ण रूप प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न (हां/नहीं)	नहीं।
... या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की सिफारिशें।	जनहित में संस्तुति दी जाती है।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

गोपेश्वर।
26/11/2022

Scanned with CamScanner